क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नामः जननी सुरक्षा योजना

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): ग्रामीण क्षेत्र की आशा को प्रोत्साहन राशि

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.1.4.4.a

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशा को प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस कार्यक्रम में किया गया है । वैसे स्थान जहां पर आशा का चयन नहीं किया गया है वहां पर आंगनवाडी सेविका है उन्हें यह राशि दी जाएगी ।

इकाई राशि (रू० में) :350/–

वित्तीय दिशा निर्देश :

संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश–

कार्य	**लाभार्थी (आशा/आंगनवाड़ी सेविका)**
गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन	50 रू०/–
प्रसव पूर्व जाँच 1	100 रू०/–
प्रसव पूर्व जाँच 2	
प्रसव पूर्व जाँच 3	
आई० एफ० ए० 1	100 रू०/–
आई० एफ० ए० 2	
आई० एफ० ए० 3	
टी० टी० 1	
टी० टी० 2	
बी०सी०जी० टीकाकरण	**100 रू०/–**
कुल	**350 रू०/–**

नोट–

1 आशा/आंगनवाड़ी सेविका द्वारा जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत किए गए सभी कार्यो के लिए एक मुश्त राशि शिशु के बी.सी.जी. टीकाकरण के पश्चात् संबंधित स्वास्थ्य केन्द्रों जहां पर प्रसव होता है वहां यह राशि देय होगी ।

2 **अगर सरकारी अस्पतालों में आई.एफ.ए उपलब्ध नहीं है तथा आशा गर्भवती महिला को प्रेरित कर अन्य जगहों से क्रय कर आई.एफ.ए. का सेवन सुनिश्चित कराती है, वैसी स्थिति में आई. एफ.ए. हेतु भुगतान आशा को भी देय होगा ।**

3 गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व जाँच, आइ.एफ.ए. तथा टी.टी का सत्यापन जच्चा–बच्चा रक्षा कार्ड/ मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड पर सूचनाओं को अंकित करने की जवाबदेही आशा की होगी। यदि कोई ऐसी महिला जिसके पास कार्ड है परंतु टीकाकरण से संबंधित तिथि अंकित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में Maternal Child Tracking System व्यवस्था के आंकड़ों से इसका सत्यापन कर लिया जाए कि उस महिला को प्रसव पूर्व सेवाएँ दी गयी हैं या नहीं। यदि उस महिला का कोई भी तथ्य नहीं है तो इसका सत्यापन ए.एन.एम./ स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से किया जाएगा । **प्रायः यह देखा जाता है कि प्रोत्साहन राशि का ससमय भुगतान नहीं होने के कारण संस्थागत प्रसवों में भी कमी होती**

SKumar

है । इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि आशा का भुगतान ससमय सुनिश्चित कर लिया जाए ।

(गर्भवती महिला द्वारा प्रसव पूर्व जाँच, टी.टी., आई.एफ.ए. यदि सरकारी अस्पतालों के अलावा अन्य जगहों से सलाह/क्रय कर उपयोग किया गया है, उसकी भी मान्यता दी जाएगी)

विशेष परिस्थिति में वित्तीय दिशा निर्देश –

गर्भवती महिला का प्रसव अस्पताल जाने के क्रम में हो जाती है तो भी आशा का भुगतान देय होगा ।

गर्भवती महिला (प्रसव के बाद) अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भी आशा का भुगतान देय है ।

भुगतान की प्रक्रिया : आशा को उनके संबंधित एकाउण्ट में ही राशि ट्रांसफर की जाएगी । इससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रेषित किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क)SHSB/PM/22/2005-4096, Dt:- 15/05/2012

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9431005972,

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014.
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

संजय कुमार, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:SHSB/PM/22/2005-VI/...4096...
दिनांक: 15/05/2012

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल
सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार
सभी सिविल सर्जन–सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

विषयः जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत संस्थागत प्रसव हेतु आने वाले लाभार्थियों को वाहन के लिए दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि समाप्त करने के संबंध में ।

प्रसंगः Director RCH-DC, MOHFW, GOI's Email, Dated:- 15th Feb, 2012-05-10

प्रसंगः रा०स्वा०स०, बिहार का पत्रांकः SHSB/Gen. Admin/243/2010/Part-I/3216, दिनांकः 13.04.2012

महाशया / महाशय,

"जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" Janani Sishu Suraksha Karyakaram(JSSK) के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली सभी गर्भवती माताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना है जिसके तहत सभी गर्भवती महिलाओं तथा जन्म से 30 दिनों के भीतर तक बीमार नवजात शिशुओं के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है । राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का उपरोक्त प्रासंगिक पत्र का संदर्भ करना चाहेंगे, जिसमें कहा गया था कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत दिनांकः 01/05/2012 से राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर आए सभी गर्भवती माताओं को प्रसव के लिए घर से सरकारी स्वास्थ्य संस्थान तक एवं प्रसव के उपरान्त पुनः वापस घर तक छोड़ने हेतु निःशुल्क यातायात सुविधान्तर्गत एम्बुलेंसों की सुविधा प्रदान की जा रही है ।

उक्त के क्रम में सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों, जिनके द्वारा (गर्भवती महिला/आशा) वाहन की व्यवस्था के लिए देय ₹200 प्रोत्साहन राशि को तत्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है क्यों कि अब गर्भवती माताओं को घर से सरकारी स्वास्थ्य संस्थान तक आने एवं प्रसव के पश्चात् वापस घर तक पहुँचाने हेतु निःशुल्क रोगी वाहन की सुविधा हेतु सभी स्वास्थ्य संस्थानों को जयप्रभा शिशु एवं जननी एक्सप्रेस रोगी वाहन उपलब्ध करा दिया गया है । अतः इस तथ्य के मद्देनजर चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में जननी बाल सुरक्षा योजनान्तर्गत बजट का भी आवंटन परिवहन व्यवस्था हेतु प्रोत्साहन राशि ₹200 की कटौती कर किया जाएगा । अतः ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव हेतु ₹2000/लाभार्थी को संशोधित कर अब यह राशि ₹1800/लाभार्थी कर दिया गया है ।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)

S Kumar for Sr

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

ज्ञापांक:– 4336   पटना, दिनांक:– 15 / 05 / 2012

प्रतिलिपि:–

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।
- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम एवं लेखा प्रबंधक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक / जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/5/2012
सचिव, स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेशक

Skumar for Ser